Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 78/2025]

Mithilesh Kumar @ Mithilesh Hajara & others.....Appellant

Versus

The State of Bihar and Other .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.3.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-40/2023-24 में दिनांक-10.1.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
गम्हरिया	चिकनी/27	592	9774	8.555 डी.

दिनांक-20.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी एवं विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि खाता संख्या-592, खेसरा-9774 का कुल रकवा-77 डी. है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के पूर्वज के खतियानी जमीन के आपसी बंटवारा के उपरांत खाता संख्या-592 का खेसरा संख्या-9774, 9602, 10650 की जमीन अपीलार्थी के पिता को प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि विपक्षी के विक्रेता को बंटवारा में खेसरा संख्या-9774 की जमीन प्राप्त नहीं थी। आपसी बंटवारा में विपक्षी के विक्रेता (जगदम्बा देवी एवं कल्पना कुमारी) के पति/पिता को खेसरा संख्या-9774 के बदले अन्य खेसरा की जमीन दी गयी थी। किन्तु जगदम्बा देवी एवं कल्पना कुमारी द्वारा अन्य फरीकेन के हिस्से की जमीन को विपक्षी को निबंधित केवाला के माध्यम से विक्रय कर दिया गया। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से निबंधित केवाला को आधार बनाते हुए आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए उनके पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि वादगत खेसरा का खतियानी रकवा 77.311 डी. जमीन है। तथा खतियानी रैयत का संख्या-04 है। जिसमें से 01 हिस्सेदार द्वारा अपना अंश 03 अन्य भाईयों के नाम वाजदाबा लिख दिया गया है। जिस प्रकार 03 भाईयों का अंश 25.66 डी. के बराबर होता है। इस प्रकार 03 भाईयों में से एक श्रीलाल हजरा को 25.66 डी. जमीन प्राप्त हुआ। तथा श्रीलाल हजरा के तीन पुत्र को बराबर-बराबर 8.55 डी. प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि श्रीलाल हजरा के पुत्र योगेन्द्र हजरा के पत्नी जगदम्बा देवी एवं एक मात्र संतान कल्पना कुमारी द्वारा अपने हिस्से की 8.55 डी. जमीन का बिक्री निबंधित केवाला संख्या-6772/2020 के द्वारा विपक्षी के पत्नी को किया गया है। उनका कहना है कि केवाला के माध्यम से प्राप्त उनके जमीन पर अपीलार्थी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागाजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी द्वारा

	13.3.2026	प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत से निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय करने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय वैध हिस्सेदार से नहीं किया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रश्नगत खेसरा का विपक्षी के विक्रेता का नहीं रहने के संबंध में कोई संगत साक्ष्य सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Brijc K. 13/3/26. आयुक्त, लेखापित एवं शुद्धित। कोशी प्रमंडल, सहरसा। Brijc K. 13/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	